लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3914
दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना

3914. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राजस्थान के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के बुनकरों और कारीगरों को कितनी वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा राजस्थान के बुनकरों और कारीगरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;
3. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम
4. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एवं हस्तशिल्प एजेंसियों/बुनकरों/कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने, सामान्य अवसंरचना के विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अलावा,

- वस्त्र मंत्रालय भौगोलिक संकेतक (जीआई) अधिनियम, 1999 के तहत पारंपरिक डिजाइनों और पैटर्नों को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग कर रहा है। यह मंत्रालय जीआई अधिनियम के तहत डिजाइनों/उत्पादों को पंजीकृत करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- पारंपरिक हथकरघा डिजाइनों को संरक्षित करने और हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए जयपुर, राजस्थान सहित देश भर में 16 बुनकर सेवा केंद्रों में डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

- हथकरघा एवं हस्तशिल्प एजेंसियों/बुनकरों/कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग एक्सपो/इवेंट्स का आयोजन करके मार्केटिंग प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में कुल 43 एक्सपो/इवेंट्स आयोजित किए गए हैं।

- उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य की 16 उत्पादक कंपनियों (पीसी) सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में 380 से अधिक उत्पादक कंपनियां (पीसी) बनाई गई हैं।

- बुनकरों और कारीगरों को सरकारी ई-मार्केट (जेम) पर ऑन-बोर्ड करने संबंधी कदम उठाए गए हैं ताकि वे अपने उत्पाद सीधे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को बेच सकें। अब तक लगभग 1.80 लाख बुनकर जेम पोर्टल पर ऑन-बोर्ड किए जा चुके हैं।

(ख): निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों और अन्य हथकरघा संगठनों से प्रस्तावों की प्राप्ति के आधार पर निधियां जारी की जाती है।

(ग) तथा (घ): हथकरघा और हस्तशिल्प मुख्य रूप से व्यक्ति आधारित हाउसहोल्ड गतिविधि है जिस पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं होता है। यद्यपि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, योजनाबद्ध इंटरवेंशन्स के माध्यम से, वस्त्र मंत्रालय देश भर के बुनकरों और कारीगरों को व्यवसाय विकास और आय सृजन के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*****